वन संरक्षण तथा वन विकास में जन सहयोग

क्र. 16-4-दस-2-91.—शासन द्वारा यह देखा गया है कि कुछ संगठित गिरोहो द्वारा वनों मे अवैध कटाई एव अतिक्रमण के माध्यम से शासकीय वनों को होने वाली नुकसानी में कमी नही हो रही है. शासन के ध्यान मे यह भी लाया गया है कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में वन कर्मियों की तादात बढ़ाने, वनों की गश्त मे वृद्धि एव सुरक्षा के अन्य उपायों के उपरान्त भी समुचित सुधार परिलक्षित नही हो रहा है. राज्य शासन इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि जब तक संवेदनशील क्षेत्रों में वनखण्डों के समीप रहने वाले गांवो के निवासी वनों की सुरक्षा मे विभाग को सक्रिय सहयोग नही करते है, तब तक वनक्षेत्रो मे पूर्ण सुरक्षा संभव नही होगी. भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय ने दिनाक 1 जून 1990 को यह निर्देश प्रसारित किये है कि वनो की सुरक्षा में समीपस्थ ग्रामवासियो की भागीदारी सुनिश्चित की जाये एव इसके लिये वन सुरक्षा समितियो का गठन किया जाये. इन निर्देशो मे यह भी सुझाव दिया गया है कि ऐसे गाव जो वनो की सुरक्षा मे सक्रिय सहयोग देते है, उन गावो के निवासियो द्वारा वन सुरक्षा मे दिए गए सहयोग के एवज मे वन क्षेत्रो से प्राप्त होने वाली राजस्व का एक हिस्सा प्रोत्साहन राशि के रूप मे दिया जाये.

(2) इसी प्रकार शासन के ध्यान मे यह भी आया है कि जिन क्षेत्रों मे जैविक दबाव के कारण अच्छे वन अब बिगड़ी हुई दसा मे पहुच रहे है, उनके पुनर्वनीकरण के कोई भी प्रयास जन सहयोग के बिना पूर्णतः सफल नही हो सकते. इस उद्देश्य से बिगड़े वनक्षेत्रो के समीप रहने वाले ग्रामीणो की भागीदारी मे पुनर्वनीकरण के प्रयास को सफल बनाने के लिये ग्राम वन समिति का गठन किया जाना चाहिए ऐस वनक्षेत्रों के पुनर्वनीकरण के प्रयास में ग्रामीणो का सहयोग प्राप्त करने के लिये उन्हें प्रोत्साहन के बतौर इस क्षेत्र से उत्पादित वनोपज मे भागीदारी देना आवश्यक है. तभी पुनर्वनीकरण के प्रयास सफल हो सकेंगे.

(3) अतः राज्य शासन का यह सकल्प है कि—

(1) सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील वन क्षेत्रो के समीपस्थ ग्राम/ग्राम समुहो के निवासियो की वन सुरक्षा समिति गठित की जाये. ऐसी समिति को उनके द्वारा सुरक्षित वनक्षेत्रो की वार्षिक शुद्ध आय मे से 20 प्रतिशत उपलब्ध कराई जाये.

(2) जैविक दबाव के कारण बिगड़े हुए वनक्षेत्रो के पुनर्निर्माण के प्रयास मे समीपस्थ ग्रामीणो को सहयोग प्राप्त करने के लिये ग्राम वन समिति का गठन किया जाये और पुनर्वनीकरण के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र की इमारती एव जलाऊ लकड़ी के मुख्य पातन एव राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज से प्राप्त आय का 30 प्रतिशत तथा विरलन सफाई आदि के कारण प्राप्त अतरिम उत्पादन की शत-प्रतिशत आय ग्रामीण वन समिति को दी जाये.

(3) साथ ही समिति के गठन एव सचालन हेतु मत्री-परिषद् उप-समिति द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया (प्रति सलग्न) का पालन किया जाये.

वन सुरक्षा समिति के गठन से संबधित प्रक्रिया

वन सुरक्षा समिति का क्षेत्र चयन.—वन मण्डलाधिकारी ऐसे संवेदनशील वनखण्डो का चयन प्राथमिकता से करेंगे जहां समीप के ग्रामीण वनो की सुरक्षा मे योगदान देने हेतु इच्छुक हो. वनमण्डलाधिकारी, चयनित वनखण्डो से संबधित ग्रामो की दूरी, संबधित ग्रामो की जनसख्या एव निस्तार पूर्ति हेतु आवश्यक वनोपज की मात्रा आदि पर समग्र विचार करने के उपरान्त प्रत्येक ग्राम के लिए वनोपज की मात्रा आदि पर समग्र विचार करने के उपरान्त प्रत्येक ग्राम के लिए वन सुरक्षा समिति का गठन करेंगे एव प्रत्येक सुरक्षा समिति के लिए निश्चित वनक्षेत्र (कक्ष क्रमाक) निर्धारित करेंगे.

समिति का गठन.—वन सुरक्षा समिति के गठन हेतु ग्रामीणो की सहमति प्राप्त करने के लिए ग्राम की अत्योदय समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता मे बैठक आहूत की जायेगी और इस बैठक मे संबधित पचायत के सरपच भी उपस्थित रहेंगे. विभाग की ओर से वनमडलाधिकारी अथवा उनके पास द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो वन क्षेत्रपाल से अनिम्न स्तर का न हो, आम सभा का आयोजन करेंगे और यदि ग्राम के बालिग निवासियो मे से न्यूनतम 50 प्रतिशत निवासी बैठक

मे उपस्थित होकर वन सुरक्षा समिति के गठन का प्रस्ताव पारित करते है तो उस ग्राम में वन सुरक्षा समिति गठित की जायेगी. ऐसी समिति मे ग्राम के प्रत्येक मूल स्थायी रूप से निवास कर रहे परिवार का एक सदस्य समिति के सदस्य के रूप में नामांकित किया जायेगा.

कार्यकारिणी.—(1) वन सुरक्षा समिति के गठन का निर्णय हो जाने के बाद तथा समिति के सदस्यों के नाम निर्धारित होने के बाद उसी बैठक मे ग्राम की अत्योदय समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एवं सरपच की उपस्थिति मे वन सुरक्षा समिति के सदस्य आपसी परामर्श व विचार के उपरान्त अनौपचारिक रूप से कार्यकारिणी का गठन करेगे, ऐसी कार्यकारिणी मे ग्रामीण के प्रत्येक 10 परिवारो के समूह मे से एक सदस्य लिया जायेगा तथा ऐसे सदस्यो की सख्या न्यूनतम 5 होगी.

(2) कार्यकारिणी के सभी सदस्य उस गाव के मूल निवासी होगे. गाव के पचायत के सभी पच व ग्राम की अत्योदय समिति के सभी सदस्य इस कार्यकारिणी के सदस्य होगे.

(3) वन सुरक्षा समिति हेतु निर्धारित वन क्षेत्र के वनपाल, गाव के कोटवार ग्राम के शिक्षक व ग्राम के मुखिया कार्यकारिणी के पदेन नामांकित सदस्य होगे. सबधित वनपाल कार्यकारिणी के पदेन सचिव होगे.

(4) प्रत्येक वन सुरक्षा समिति एव उसके कार्यकारिणी के गठन हेतु वनमडलाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा.

(5) कार्यकारिणी के पदेन सचिव माह मे कम से कम एक बार कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करेगे. बैठक मे सदस्य आपसी सहमति से बैठक हेतु अध्यक्ष का चुनाव करेगे. यदि अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाये तो समिति की अगली बैठक एक माह के कम अन्तराल मे भी आयोजित की जाएगी.

वन सुरक्षा समिति के कर्त्तव्य एवं दायित्व.—सुरक्षा समिति/कार्यकारिणी निर्धारित वनक्षेत्र, उसमे सम्मिलित वृक्षारोपण आदि की पूर्ण सुरक्षा के लिए उत्तरदायी रहेगी.

(2) समिति/कार्यकारिणी अपने सदस्यो के माध्यम से वनो की सुरक्षा का दायित्व वहन करेगी.

(3) समिति/कार्यकारिणी को वनपाल अथवा सबधित वन अधिकारी को निर्धारित वनक्षेत्रो मे हुए/होने वाले वन अपराधो की तुरन्त सूचना देनी होगी.

(4) समिति/कार्यकारिणी मे निर्धारित वनक्षेत्रों के अवैध कटाई, अतिक्रमण, अवैध पशु चराई, वनोपज की चोरी अथवा वनो को नुकसान पहुचाने के प्रयासो को रोकना होगा.

(5) उपरोक्त अपराध करने वाले व्यक्तियो को बन्दी बनाने अथवा इस कार्य मे वनाधिकारियो को सहयोग देने का दायित्व सुरक्षा समिति/कार्यकारिणी का रहेगा.

(6) यदि ग्राम का कोई निवासी, फिर वह सुरक्षा समिति/कार्यकारिणी का सदस्य हो अथवा नही, द्वारा यदि निर्धारित वन क्षेत्र मे वन अपराध करने का प्रयास किया जाता है अथवा ऐसा प्रयास करने की उसकी मशा है तो सुरक्षा समिति/कार्यकारिणी इसकी सूचना तत्काल सबधित वनाधिकारी को देगी.

(7) यदि ग्राम के किसी निवासी द्वारा शासन प्रदत्त विस्तार अधिकारो अथवा सुविधाओ का दुरूपयोग किया जाता है तो सुरक्षा समिति/कार्यकारिणी ऐसे प्रत्येक घटना की सूचना तत्काल सबधित वनाधिकारी को देगी.

(8) सुरक्षा समिति/कार्यकारिणी का यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित वन क्षेत्र में होने वाले वैज्ञानिक प्रबंध, वन विदोहन आदि मे वन विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान करे.

(9) समिति के किसी सदस्य द्वारा वनक्षेत्र मे अवैध कटाई व किसी प्रकार के अवैध कार्य की सूचना दिए जाने पर सबधित वन अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अधिकतम 7 दिनो के भीतर समिति को की गई कार्यवाही से

अवगत कराया जाएगा. यदि संबधित वन अधिकारी द्वारा 7 दिनों के भीतर कार्यवाही की सूचना नहीं दी जाती है तो यह तथ्य वन मंडलाधिकारी के ध्यान में लाया जाएगा तथा वनमंडल अधिकारी एक माह के भीतर कार्यवाही करते हुए समिति को स्थिति से अवगत करायेंगे।

(10) यदि समिति का कोई भी सदस्य किसी वन अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे समिति की सदस्यता से हटा दिया जाएगा.

वन विभाग का दायित्व/कर्तव्य.—(1) वनमंडलाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी वन सुरक्षा समिति द्वारा किये गये कार्य की त्रैमासिक समीक्षा करेंगे. ऐसी समीक्षा के उपरान्त यदि वनमंडलाधिकारी यह पाते है कि सुरक्षा समिति के प्रयास पर्याप्त स्तर के नही है तो उसकी सूचना वनमंडलाधिकारी संबधित वनसुरक्षा समिति/कार्यकारिणी को समय-समय पर देंगे.

(2) यदि वनमंडलाधिकारी यह पाते हैं कि वन सुरक्षा समिति निर्धारित वनक्षेत्रों की सुरक्षा करने में असफल रही है अथवा यह पाते है कि समिति भारतीय वन अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उल्लंघन के लिए दोषी है तो वनमंडलाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह वन सुरक्षा समिति/कार्यकारिणी के विशिष्ट सदस्यों की सदस्यता निरस्त करे. वनमंडलाधिकारी को यह भी अधिकारी होगा कि वह आवश्यकता पड़ने पर पूरी वन सुरक्षा समिति को भग कर दे. ऐसा करने पर वनमंडलाधिकारी को इसकी सूचना संबधित जिलाध्यक्ष एवं वन सरक्षक को देना होगी.

(3) वनमंडलाधिकारी द्वारा समिति/उसके सदस्य के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के विरूद्ध संबधित वन संरक्षक को अपील की जा सकती है.

वन सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये सहयोग के फलस्वरूप सुरक्षित वनक्षेत्र से प्राप्त शुद्ध आय की गणना किस प्रकार होगी और उसका वितरण समिति के सदस्यों के बीच किस प्रकार किया जायेगा इस संबंध में विस्तृत निर्देश वन विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायमेगे.

बिगड़े वनों के सुधार के लिए जनसहयोग प्राप्त करने हेतु ग्राम वन समिति के गठन एवं संचालन की प्रक्रिया

समिति का क्षेत्र चयन.—बिगड़े वनक्षेत्रो के समीपस्थ ग्राम/ग्राम समूह के निवासियो की "ग्राम वन समिति" गठित की जायेगी. वनमंडलाधिकारी ऐसे बिगड़े वनखण्डो का चयन प्राथमिकता से करेंगे, जिसके समीप के ग्रामीण उपरोक्त कार्य के लिए इच्छुक हो. वनखण्डों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि बिगड़े वनक्षेत्रो में कुछ मात्रा में वृक्ष प्रजातिया विद्यमान है एवं उचित वन सम्वर्धन एवं सुरक्षा से ऐसे वनखण्डो को पुनः वृक्षाच्छादित किया जा सकेगा.

(2) वनमंडलाधिकारी उपलब्ध बिगड़े वनक्षेत्र, उसकी संबधित ग्रामों से दूरी संबधिक ग्रामो की जनसख्या एवं निस्तार पूर्ति हेतु आवश्यक वनोपज की मात्रा आदि पर समग्र विचार करने के उपरांत संबधित ग्रामों को वन विकास सम्वर्धन, प्रबंध एवं सुरक्षा हेतु विशिष्ट बिगड़े वनक्षेत्र निर्धारित करेंगे.

समिति का गठन.—"ग्राम वन समिति" के गठन हेतु ग्रामीणों की सहमति प्राप्त करने के लिए ग्राम की अत्योदय समिति की अध्यक्षता में बैठक आहूत की जायेगी और इस बैठक मे संबधित पंचायत के सरपच भी उपस्थि रहेंगे. विभाग की ओर से वन मंडलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जो वन क्षेत्रापाल से अनिम्न स्तर का न हो, आम सभा का आयोजन करेंगे और यदि ग्राम के बालिग निवासियो मे से न्यूनतम 50 प्रतिशत निवासी बैठक में उपस्थित होकर वन सुरक्षा समिति के गठन का प्रस्ताव पारित करते हैं तो ग्राम वन सुरक्षा समिति गठित की जायेगी. ऐसी समिति में ग्राम के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य समिति के सदस्य के रूप में नामांकित किया जायेगा.

कार्यकारिणी.—(1) "ग्राम वन समिति" के गठन का निर्णय हो जाने के बाद तथा समिति के सदस्यो के नाम निर्धारित होने के बाद उसी बैठक मे ग्राम की अत्योदय समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता मे एव सरपच की उपस्थिति मे ग्राम वन समिति के सदस्य आपसी परामर्श व विचार करने उपरान्त अनौपचारिक रूप से कार्यकारिणी का गठन करेंगे. ऐसी कार्यकारिणी में ग्राम के प्रत्येक 10 परिवारो के समूह मे से एक सदस्य लिया जायेगा तथा ऐसे सदस्यो की सख्या न्यूनतम 5 होगी.

(2) कार्यकारिणी के सभी सदस्य उस गांव के मूल निवासी होंगे. गांव के पंचायत के सभी पंच व ग्राम की अंत्योदय समिति के सभी सदस्य इस कार्यकारिणी के सदस्य होंगे.

(3) ग्राम वन समिति हेतु निर्धारित वनक्षेत्र के वनपाल गांव के कोटवार, ग्राम के शिक्षक व ग्राम के मुखिया कार्यकारिणी के पदेन नामांकित सदस्य होंगे. संबंधित वनपाल कार्यकारिणी के पदेन सचिव होंगे.

(4) प्रत्येक ग्राम वन समिति एवं उसके कार्यकारिणी के गठन हेतु वनमंडलाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा. कार्यकारिणी के पदेन सचिव माह में कम से कम एक बार कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करेंगे. बैठक में सदस्य आपसी सहमति से बैठक हेतु अध्यक्ष का चुनाव करेंगे. यदि अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जावे तो समिति की अगली बैठक माह के कम अंतराल में भी आयोजित की जायेगी.

प्रबंध योजना.—वनमंडलाधिकारी अपने अधीनस्थ अमले की सहायता से "ग्राम वन समिति" से संबंधित गांव का सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे एवं इसके साथ ही ग्रामीणों द्वारा पशु चराई एवं निस्तार पूर्ति हेतु वनोपज प्राप्ति की विद्यमान स्थिति का आकलन करेंगे. संकलित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में वनमंडलाधिकारी ग्राम वन समिति को आवंटित बिगड़े वनक्षेत्रों के विकास, संवर्धन, सुरक्षा एवं प्रबंध हेतु एक प्रबंध आयोजना प्रस्ताव बनायेंगे. ऐसी आयोजना में बिगड़े वनक्षेत्रों का विकास किस पद्धति से किया जायेगा, इसका विवरण होगा, साथ ही बिगड़े वनक्षेत्र का विकास कर किस प्रकार अधिक मात्रा में ईंधन, लकड़ी/छोटी इमारती लकड़ी एवं चारा उत्पादित किया जायेगा, इसके प्रस्ताव भी रहेंगे. ग्रामीणों को निस्तारी आवश्यकता की पूर्ति चारा एवं पशुओं की चराई सुविधा किस प्रकार दी जायेगी, उसके बाबत् भी प्रस्ताव किया जायेगा, वन विकसित होने पर प्रति वर्ष कितनी मात्रा में विभिन्न वनोपज उपलब्ध होगी एवं इसका न्यायोचित वितरण किस प्रकार किया जायेगा, इसके बाबत् भी व्यवस्था प्रबंध आयोजना में सम्मिलित की जायेगी. प्रबंध आयोजना 5 वर्षों के लिये बनायी जायेगी.

(2) वनमंडलाधिकारी अथवा उनके प्राधिकृत अधिकारी प्रबंध आयोजना प्रस्ताव सर्वप्रथम कार्यकारिणी के समक्ष रखेंगे एवं इन प्रस्तावों में जो सुझाव कार्यकारिणी प्रस्तावित करेगी, उन पर विचार किया जायेगा, यदि आवश्यक, हुआ तो वनमंडलाधिकारी प्रबंध आयोजना प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन करेंगे.

(3) तदुपरान्त प्रबंध आयोजना प्रस्ताव स्वीकृति हेतु "ग्राम वन समिति" के समक्ष रखे जायेंगे. प्रबंध आयोजना प्रस्तावों का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जायेगा, इसकी पूर्ण जानकारी ग्राम वन समिति को दी जायेगी. वनमंडलाधिकारी उनके प्राधिकृत अधिकारी "ग्राम वन समिति" द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करेंगे एवं कौन से सुझाव स्वीकार किये जा सकते हैं, उनके विषय में समिति को सूचित करेंगे. प्रस्तावित प्रबंध आयोजना का अनुमोदन "ग्राम वन समिति" से प्राप्त करने के उपरान्त वनमंडलाधिकारी औपचारिक स्वीकृति प्रदान करेंगे एवं प्रबंध आयोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जायेगा, प्रबंध आयोजना स्वीकार होने की स्थिति में संबंधित बिगड़े वनक्षेत्र के प्रबंध हेतु तत्पूर्व जो भी प्रबंध व्यवस्था विद्यमान होगी, वह अपने आप स्थगित हो जायेगी.

कार्यकारिणी के दायित्व/कर्तव्य.—ग्राम वन समिति द्वारा गठित कार्यकारिणी वास्तव में समिति की कार्यपालन इकाई रहेगी. स्वीकृत प्रबंध आयोजना के क्रियान्वयन का मुख्य दायित्व कार्यकारिणी का रहेगा, प्रबंध आयोजना में दर्शाये अनुसार बिगड़े वनक्षेत्रों का विकास वन विभाग के मार्ग दर्शन में कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा. ऐसे निवासी जो प्रबंध आयोजना के प्रावधानों के विपरीत वनोपज का विदोहन, अवैध कटाई, अतिक्रमण अथवा अवैध चराई आदि का अपराध करते हैं तो उनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही करने का दायित्व कार्यकारिणी का रहेगा. यदि सामाजिक उपायों के उपरान्त भी कुछ विशिष्ट ग्रामवासी अवैध हरकतें बंद नहीं करते हैं तो ऐसे निवासियों के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए यदि कार्यकारिणी/समिति अनुरोध करती है तो वनपाल अथवा उनसे वरिष्ठ वनाधिकारी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे. समिति के किसी सदस्य द्वारा वनक्षेत्र में अवैध कटाई व किसी प्रकार के अवैध कार्य की सूचना दिए जाने पर संबंधित वन अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अवगत कराया जाएगा. यदि संबंधित वन अधिकारी द्वारा 7 दिन के भीतर कार्यवाही की सूचना नहीं दी जाती है तो यह तथ्य वनमंडलाधिकारी के ध्यान में लाया जायेगा तथा वनमंडलअधिकारी एक माह के भीतर कार्यवाही करते हुए समिति को स्थिति से अवगत करायेंगे. यदि समिति का कोई भी सदस्य किसी वन अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे समिति की सदस्यता से हटा दिया जायेगा. उत्पादित वनोपज एवं अन्य सुविधाओं का न्यायोचित वितरण करने बाबत राज्य शासन समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन

करने का दायित्व कार्यकारिणी/समिति का रहेगा. निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्डों के अनुसार कार्यकारिणी, प्रबंध करती है यह सुनिश्चित करन हेतु वन विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी जानकारी मागी जायेगी, वह उपलब्ध कराने हेतु कार्यकारिणी बाध्य रहेगी.

(2) ग्राम वन समिति के कार्य-कलापों की अर्धवार्षिक समीक्षा वनमंडल अधिकारी करायेगे. ऐसी समीक्षा में जो भी कमी पाई जाती है, वह समिति/कार्यकारिणी के समक्ष लायी जायेगी एव आवश्यक उपाय करने बाबत् निर्देश दिये जायेगे.

वन विभाग का दायित्व.—"ग्राम वन समिति" एव कार्यकारिणी को स्वीकृत प्रबंध आयोजना क्रियान्वित करने में वन विभाग को पूर्ण मार्गदर्शन एव सहयोग देना होगा. प्रबंध आयोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रतिवर्ष-समय-समय पर जो भी धनराशि आवश्यक होगी, वह उपलब्ध कराने का दयित्व वन विभाग का रहेगा. परन्तु यदि वनमंडलाधिकारी यह पाते है कि उपलब्ध राशि का समुचित एव न्यायोचित उपयोग नही हो रहा है तो वह प्रबंध आयोजना का क्रियान्वयन स्थगित कर सकते है. वन विभाग का यह भी दायित्व रहेगा कि नर्सरी, वृक्षारोपण एव वनो के प्रबंध से सबंधित प्रशिक्षण की सुविधाएं कार्यकारिणी/समिति को उपलब्ध करायेगा. इसी प्रकार सपादित कार्य एव किये गये व्यय का लेखा-जोखा किस प्रकार रखा जावेगा, इसका भी प्रशिक्षण वन विभाग देगा. साराश मे यह उद्देश्य है कि कुछ वर्षों के बाद कार्यकारिणी/समिति प्रबंध आयोजना का सफल क्रियान्वयन स्वतत्र रूप से करने के लिये सक्षम हो जाये तो वन विभाग सीधे कार्यकारिणी/समिति को एक मुश्त धनराशि प्रदाय कर प्रबंध आयोजना क्रियान्वित करेगी.

प्रबंध आयोजना के सफल क्रियान्वयन की स्थिति में राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं.—यदि वनमंडलाधिकारी निर्धारित समीक्षा के उपरात यह पाते है कि विद्यमान परिस्थिति मे "ग्राम वन समिति" एव उसकी कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत प्रबंध आयोजना के क्रियान्वयन मे समुचित सफल प्रयास किया गया है तो वनमंडलाधिकारी इस संबंध में आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष समिति को प्रदान करेगे. ऐसे प्रमाण-पत्र जारी होने की स्थिति मे ग्राम वन समिति के माध्यम से ग्रामीणों को निम्न सुविधाएं प्रदाय की जायेगी :—

(1) निर्धारित बिगड़े वनक्षेत्र के विकास एवं प्रबंध के कारण जो वनोपज (राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज को छोड़कर उत्पादित होगी, उस पर ग्रामीणों का पूर्ण अधिकारी होगा एव ऐसी उत्पादित वनोपज के न्यायोचित वितरण का दायित्व समिति/कार्यकारिणी का रहेगा. राष्ट्रीयकृत वनोपज के आय का 30 प्रतिशत समिति को प्राप्त होगा.

(2) निर्धारित क्षेत्र के प्रबंध के अन्तर्गत, विरलन, क्लीनिंग आदि के कारण उत्पादित समस्त ईधन लकड़ी, छोटी इमारती लकड़ी (बल्ली) एव बास पर पूर्ण अधिकार ग्राम वासियो का रहेगा. न्यायोचित वितरण समिति/कार्यकारिणी करेगी.

(3) उपरोक्त सुविधाओ के अतिरिक्त प्रबंध आयोजना मे प्रावधानिक नैसर्गिक रूप से उपलब्ध अथवा रोपित वृक्षो के अंतिम विदोहन से प्राप्त होने वाली इमारती लकड़ी एव ईधन लकड़ी की 30 प्रतिशत मात्रा ग्रामीणो को उपलब्ध कराई जायेगी. जिसका न्यायोचित वितरण का दायित्व समिति/कार्यकारिणी पर रहेगा. यदि समिति के बहुसख्यक सदस्य लकड़ी की एवज में उत्पादित वनोपज से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय राजस्व का 30 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करना चाहे तो राज्य शासन ऐसी राशि एक मुश्त समिति को उपलब्ध करायेगी. समिति/कार्यकारिणी का यह दायित्व रहेगा कि ऐसी राशि का समान वितरण समिति के सदस्यो को करे.

यदि आवश्यक समझे तो राज्य शासन वन विभाग एवं ग्राम वन समिति के बीच उपरोक्त शर्तो को सम्मिलित करते हुए एक औपचारिक अनुबंध निष्पादित करने के आदेश दे सकता है. ऐसे आदेश होने पर निर्धारित शर्तों एवं प्रपत्र में समिति के साथ अनुबंध निष्पादित कराने का दायित्व वनमंडलाधिकारी का रहेगा.

राज्य शासन को अधिकार रहेगा कि वह उपरोक्त सकल्प मे निहित विभिन्न मुद्दो से सबंधित निर्देश समय-समय पर प्रसारित करे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. शुक्ला, अतिरिक्त सचिव.